न्यायालयः — अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

<u>दा0 प्रकरण क0-857 / 12</u> संस्थित दिनांक 30.10.2012 फा.नंबर 234503001302012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी, जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन।

विरुद्ध

राजू टांडिया पिता श्री परदेशीलाल टांडिया, उम्र—25 साल, निवासी राजो थाना बिछिया जिला मण्डला (म०प्र०)अभियुक्त।

> **—:: <u>निर्णय</u> ::—** —:: आज दिनांक <u>07 / 12 / 2017</u> को घोषित ::—

- 01. अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337(दो बार), 338 भा०दं०सं० के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 02.10.2012 को दिन के लगभग 10:30 बजे बखारी नाला थाना गढ़ी अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन पीकप कमांक एम.पी.20जी.ए.5082 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहतगण बृजेश एवं गुलाब को ठोस मारकर साधारण उपहित तथा संतोष को ठोस मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहित कारित किया।
- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.10.2012 को प्रार्थी संतोष कुमार चक्रवर्ती अपने मिटटी के बर्तन तथा उसका भाई बुजेश अपना किराना सामान तथा सुरेश गोंड अपना गल्ला अनाज के बोरे पल्लेदार (हमाल) के साथ ग्राम राजो जिला मण्डला थाना बिंछिया में पिकअप वाहन कमांक एम.पी.२० जी.ए.५०८२ में उक्त सामान लोड कराकर वाहन में बैठकर ग्राम गढ़ी बाजार के लिये ग्राम राजो से करीब 10:00 बजे रवाना ह्ये। उक्त वाहन को चालक राजु टांडिया ग्राम राजो चला रहा था। उक्त वाहन कृमांक पिकअप एम.पी.20जी.ए.5082 बटवारी नाला के पास पहुंचा था, तभी नाला पुलिसा के उपर उक्त वाहन को चालक राजु टांडिया ने तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर टर्निंग में काटा और घाट चढ़ाई में गियर नहीं लगाया और वाहन को पीछे लुढ़काकर नाला में पलटा दिया, जिससे उसमें सवार लोगों को चोटे आई। उक्त रिपोर्ट के आधार आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी राजू टांडिया को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर है। प्रार्थी की एम.एल.सी. रिपोर्ट में फ्रेक्चर होना लेख किये जाने से धारा-338 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कमांक 55 / 12 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03. आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337(दो बार), 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूटा फंसाया जाना प्रकट किया।

आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

- प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—
 1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.10.2012 को दिन के लगभग 10:30 बजे बखारी नाला थाना गढ़ी अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन पिकअप क. एम.पी.20जी.ए.5082 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
 - 2.क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहतगण बृजेश एवं गुलाब को ढोस मारकर साधारण उपहति कारित की ?
 - 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत संतोष को ठोस मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

–: <u>सकारण निष्कर्ष</u>:–

विचारणीय प्रश्न क.01 से 03

उक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो तथा सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

- 05— साक्षी संतोष अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार—पांच माह पूर्व की है। घटना दिनांक को वह अपने मिट्टी के बर्तन लेकर पीकप वाहन से गढ़ी बाजार जा रहा था, जिसे आरोपी राजू चला रहा था। जैसे ही उनका पीकप वाहन बखारी नाले के चढ़ाव में चढ़ रहा था, उसी समय गाड़ी पीछे पलट गई और पुलिया में गिर गई, जिससे उसके दांये पैर में फ्रेक्चर हो गई थी और बांये पैर में भी चोट आई थी। वह नहीं बता सकता कि उक्त दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना गढ़ी में दर्ज कराई थी, जो प्रपी—1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में प्राथमिक उपचार हुआ था। इसके बाद जबलपुर में भी उसका ईलाज हुआ था।
- 06— साक्षी संतोष अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को पीकप वाहन में उसने अपने मिट्टी के बर्तन लोड किया था, उसका भाई ब्रजेश ने अपना किराना का सामान लोड किया था एवं सुरेश ने अपना अनाज गल्ला लोड किया था। वह नहीं बता सकता कि आरोपी ने बखारी नाला के मोड़ में तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक तरीके से मोड़ पर काटा और गियर नहीं लगाया था, जिससे पीकप वाहन पीछे मुड़कर नाला में पलट गई थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पीकप वाहन में अत्यधिक सामान लोड किया गया था, पीकप वाहन में अत्यधिक सामान को लोड भरा होने के कारण गाड़ी नाला के घाट को नहीं चढ़ पाई और पीछे खिसक कर पलट गई थी, उसने प्रपी—1 की रिपोर्ट में आरोपी द्वारा तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक नाला के मोड़ पर काटा

और गियर नहीं लगाया, जिससे पीकप पीछे लुड़क गई और नाला में पलट गई थी वाली बात लिखाया था।

- साक्षी संतोष अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि घटना के पूर्व आरोपी की गाड़ी में गढ़ी बाजार आया–जाया करता था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि जहाँ पर गाड़ी पलटी थी वहाँ पर अत्यधिक मोड़ है। इस घटना के पूर्व उक्त नाला में एक ट्रक और ट्रेक्टर पलटा था, इसकी जानकारी उसे नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उक्त बखारी नाला में उक्त पुलिया में गढढे और पत्थर है। वह गाडी में अपने सामान के साथ गाड़ी की द्राली में बैठा था। उसके पास उसका छोटा भाई ब्रजेश, गुलाब, अमरीतदास साथ में बैठे थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि चालक ने उपर बैठने से मना किया था, गाड़ी के अंदर बैठने बोला था, किन्तु वह अपने मन से उपर बैठे थे तथा घाट में चढने से वाहन में तकनीकी खराब होने से गाड़ी पलट गई थी, यदि वह डाला में नहीं बैठता और अंदर की तरफ बैठता तो उसे चोट नहीं आती, उसकी लापरवाही से उसे चोट आई थी, बखारी नाला में बड़े–बड़े पत्थर बाहर निकले ह्ये है, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी, उक्त पीकप वाहन में प्रत्येक बार जितना सामान भरा रहता था, उतना ही सामान घटना दिनांक को भरा था और सामान्य गति से घाट को चढा रहा था, गाडी जब घाट चढती है तो धीमी गति से ही चढती है, वह अपने स्वेच्छा से जबलपुर ईलाज कराने के लिए गया था, रिपोर्ट क्लेम पाने के उददेश्य से किया था, जिसका क्लेम उसने मण्डला जिला में पेश कर दिया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि पीकप वाहन के पीछे वापस आने से और बचने के कारण वह पीकप वाहन से बाहर कृद गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह प्रतिपूर्ति के लिए दावा पेश किया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए झूठी शिकायत किया था।
- 08— साक्षी ब्रजेश चक्रवर्ती अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। प्रार्थी संतोष उसका भाई है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग सात—आठ माह पूर्व की है। घटना दिनांक को वह अपने मिट्टी के बर्तन लेकर पीकप वाहन में भर कर गढ़ी बाजार जा रहा था, जिसे आरोपी राजू चला रहा था। जैसे ही उनका पीकप वाहन बखारी नाले पर पहुंचा, गाड़ी उस समय तेज गित से थी, जैसे गाड़ी पीछे आने लगी तो ड्रायवर / आरोपी पीकप वाहन से कूद गया था, तब गाड़ी पीछे पलट गई थी। जैसे ही गाड़ी पलटी तो वह गाड़ी से कूद गया था, जिससे उसका बांया पैर फ्रेक्चर हो गया था। उसका ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैहर में तथा उसके बाद जबलपुर में हुआ था।
- 09— साक्षी ब्रजेश चक्रवर्ती अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि बखारी नाला पर पत्थर बाहर निकल गये है, नाला की रोड़ आगे तरफ खराब है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि जहाँ गाड़ी पलटी थी वहां पर मोड़ है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस दुर्घटना के पूर्व में उस नाला में ट्रक और ट्रेक्टर पलटे थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी बखारी नाला के घाट पर सामान्य गति से चढ़ा

रहा था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि वह पीकप वाहन में पीछे डाले पर बैठा था, जहाँ सामान रखा हुआ था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे आरोपी ने अपने पास सामने बैठने बोला था, वह अपनी मर्जी से पीकप वाहन में अपने सामान के साथ पीछे बैठा था। उसने पीकप वाहन के पीछे आने पर आरोपी पीकप वाहन से कूद गया था यह बात उसके पुलिस बयान प्रडी—1 में नहीं लिखी होगी तो वह इसका कारण नहीं बता सकता।

- साक्षी ब्रजेश चक्रवर्ती अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष 10-के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसका ईलाज जबलपुर में नहीं हुआ था। बखारी नाला और शिव मंदिर की दूरी लगभग सौ कदम की है। वह नहीं बता सकता कि पीकप वाहन में तकनीकी खराबी आई थी या नहीं, जिसके कारण पलट गई थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह पीछे पीकप वाहन में डाल के अंदर बैठा हुआ था, आगे पीकप में क्या तकनीकी खराबी आई थी, वह नहीं बता सकता, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि गाड़ी में तकनीकी खराबी होने से गाड़ी पलटी थी, पीछे गाड़ी गंडलने से वह डर के मारे पलटने से पहले ही कृद गया था, जिससे उसका पैर गाडी में फंस गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घाट में गाड़ी चलती है तो धीरे गति से चलती है, किन्तु साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय पीकप वाहन घाट पर धीरे गति से चढ रही थी, उक्त दुर्घटना रोड़ खराब होने के कारण घटी थी, उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही से घटित नहीं हुई थी, आरोपी घटना के समय पीकप को सामान्य गति से चला रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी संतोष उसका भाई है, घटना के समय वह भी उसके साथ बैठा हुआ था।
- 11— साक्षी गुलाब अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से पिछले साल दिन के 11:00 बजे की है। घटना के समय वह पीकप वाहन में बैठकर ग्राम राजो से गढ़ी जा रहा था, उस समय पीकप चढ़ाव में बंद हो गया, जिससे गाड़ी पीछे लुड़क कर पुलिया में जाकर पलट गई। उक्त दुर्घटना में उसके बांयी एड़ी में चोट लगी थी। उसके अलावा वाहन में बैठे संतोष और ब्रजेश को भी चोट लगी थी। दुर्घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं कह सकता, क्योंकि गाड़ी बंद हो गई तो वह वापस पलट गयी। उसका ईलाज बैहर अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने उससे कोई पूछतांछ नहीं की थी।
- 12— साक्षी सुरेश अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब पांच माह पहले की है। घटना के समय वह ग्राम राजे से गढ़ी बाजार करने पीकप वाहन में बैठकर आया था, उस समय पीकप वाहन आरोपी राजू चला रहा था। उसके अलावा संतु, गुलाब, ब्रजेश भी बैठे हुए थे। पीकप वाहन बखारी नाले में चढ़ाव चढ़ते समय रूक गया और पुलिया से नीचे गिर गया। घटना में उसे कोई चोट नहीं आयी। संतोष, गुलाब और ब्रजेश को चोट आयी थी। घटना के समय आरोपी वाहन को तेज गित से चला रहा था। दुर्घटना आरोपी ड्राईवर की गलती से हुई

थी, वह मौके से भाग गया था। उसने आहत संतु और आहतगण को थाना गढी में लेकर आया। आहतगण का ईलाज अस्पताल बैहर में हुआ था और संतु का ईलाज जबलपुर में कराया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह मोटर सायकल वगैरह नहीं चलाता। वह सायकल चलाता है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वाहन को यदि चढ़ाव पर चढ़ाना हो तो उसे तेज गित से चलाना पड़ता है, घटना के समय वह नाले के चढ़ाव को चढ़ रहे थे, चढ़ाव होने की वजह से वाहन को आरोपी तेज गित से चला रहा था, वाहन अचानक बंद हो गया, बंद हो जाने की वजह से एका—एक पीछे आयी और बंद हो गई, आरोपी जिस गित से वाहन चलाते हुए चढ़ाव पार कर रहा था गाड़ी बंद नहीं होती तो चढ़ाव चढ़ जाते और दुर्घटना नहीं होती, दुर्घटना गाड़ी के बंद हो जाने के कारण घटी तथा उक्त दुर्घटना में आरोपी की गलती नहीं थी।

- साक्षी अन्तू कुसराम अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पहले सुबह लगभग 12:00 बजे की है। घटना दिनांक को वह लोग बखारी नाला में नहा रहे थे। फिर नहाकर वापस रोड़ पर वह लोग आये, तब उसने देखा कि ब्रजेश चक्रवर्ती रो रहा था और उसे बताया कि संतोष का पैर पीकप के पलटने से टुट गया है। फिर उन लोगों ने संतोष चक्रवर्ती को रोड पर लाये। वाहन कौन चला रहा था, वह नहीं बता सकता। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 02.10.2012 को सुबह के लंगभग 10:30 बजे चिनीदास पनिका की पीकप गाडी को उसके चालक ने तेज रफतार व लापरवाहीपूर्वक चलाया और टर्निंग में काटा, घाट चढाई में आरोपी राजू टांडिया ने गाड़ी का गियर नहीं लगाया और गाड़ी को पीछे लुड़का कर वाहन को नाले में बांये तरफ पलटा दिया था, घटना के समय आरोपी उसके सामने गाड़ी चलाकर दुर्घटना कारित किया था। वह नहीं बता सकता कि ब्रजेश को दाहिने पैर के घुटने में खरोंच आयी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रपी-2 का बयान दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना उसने और उसके साथी कादरखान ने होते हुए नहीं देखी थी।
- 14— साक्षी कादरखान अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह आहत संतोष, ब्रजेश गुलाब सभी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार साल पूर्व ग्राम बखारी नाला में दिन के 10:30 बजे की है। वह और उसका दोस्त बखारी नाला से नहाकर वहां से वापस आते समय देखे कि पीकप वाहन जिसे राजू टांडिया चला रहा था, उसने वाहन को टर्निंग पर लाकर पलटा दिया था उस वाहन में संतोष, ब्रजेश और गुलाब बैठे हुए थे, जिन्हें वाहन पलटने से चोटें आयी थी। उसे आज पीकप वाहन का नम्बर घटना पुरानी होने के कारण याद नहीं है। सूचना देने पर पुलिस वहां आयी थी। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। आहत संतोष का पैर उक्त दुर्घटना में टूट गया था तथा आहतगण उसके गांव के ही है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया

है कि घटना दिनांक को आरोपी ने अपने वाहन को तेज रफतार व लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर टर्निंग के पास काटा और घाट पर गियर नहीं लगाने से पीछे लुड़का कर पलटा दिया था। उसे याद नहीं हैं कि उक्त वाहन का नम्बर एम.पी20/जी.ए—5082 था। साक्षी के अनुसार घटना

पुरानी होने के कारण उसे ध्यान नहीं है।

साक्षी कादरखान अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना पर मोड़ थी, वह घटनास्थल से दो सौ मीटर की दूरी पर था, वह घटनास्थल से दो सौ मीटर की दूरी पर था, इसलिए नहीं बता सकता कि गाड़ी कैसे चल रही थी, उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन सामान्य गति में था। साक्षी के अनुसार घाट में गाड़ी की रफ्तार कम ही रहती है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी वाहन नहीं चला रहा था। उसने घटना के समय राजू टांडिया को गाड़ी चलाते हुए देखा था। वह यह नहीं बता सकता कि उक्त दुर्घटना मोड़ होने के कारण हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन में यदि यांत्रिकी खराबी आ गयी हो तो उसे नहीं मालूम। उसने अपने पुलिस कथन में दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नम्बर नहीं बताया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके पुलिस कथन में पुलिस को अरोपी के द्वारा वाहन को तेज रफतार खरतनाक तरीके से चलाकर वाहन पलटाने की बात नहीं बतायी थी, आज उसे घटना दिन दिनांक याद नहीं है। उसे पुलिस ने उसके पुलिस कथन पढकर सुनाये थे। उसने अपना पुलिस कथन पढकर नहीं देखा था। वह पढना–लिखना जानता है तथा आठवी तक पढा है।

16— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.०६ ने कथन किया है कि वह दिनांक 02.10.2012 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उस दिन थाना गढ़ी से आरक्षक राजू नम्बर 1005 द्वारा आहत संतोष निवासी राजो को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें चोट क01—कंट्यूजन तिरछापन लिये था, जिसमें विकृति आ गयी थी। अस्थिमंग के लक्षण दिखाई दे रहे थे, उक्त चोट दाहिने जांघ पर पार्श्व भाग पर होना पाया था, चोट क02—एब्रेजन तिछापन लिये चमड़ी निकल गयी थी, लालीमा लिये उक्त चोट एंकल ज्वॉइंट पर बायीं ओर बाहर की तरफ होना पाया था। उसके मतानुसार चोट क01 के लिए आहत को एक्स—रे की सलाह दी, चोट क02 साधारण प्रकृति थी। चोट कमांक 01 जो कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी तथा चोट क02 खुरदुरी सतह से आ सकती है जो जांच के 06 घंटे के भीतर की है। आहत को देख—रेख हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया था, जो रिपोर्ट प्र.पी03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.०६ के अनुसार उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा आहत गुलाब निवासी राजो को लाने पर उसके द्वारा परीक्षण किया गया था, जिसमें निम्नलिखित चोटें पाया था। चोट क०१ कंट्यूजन तिरछापन लिये, अनियमित किनारे सख्त चोट एंकल ज्वॉइंट में बांये तरफ बाहर

की ओर होना पाया था, चोट क्02— कंट्यूजन बांयें पैर के अंदर की तरफ होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी, जो उसके जांच के 06 घंटे के अंदर की थी, जो प्र0पी04 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 18— साक्षी डाँ० एन.एस. कुमरे अ.सा.06 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उक्त आरक्षक द्वारा आहत ब्रजेश पिता मंगलप्रसाद, निवासी राजो को लाने पर उसके द्वारा परीक्षण किया गया था, जिसमें निम्नलिखित चोटें पाया था। चोट क01—कंट्यूजन जो अनियमित किनारे लिये बांये एंकल ज्वॉइंट पर बाहर की तरफ होना पाया था, चोट क02— एब्रेजन जिसमें चमडी निकल गयी थी, दाहिने पैर पर सामने की तरफ होना पाया था। उसके मतानुसार सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी, जो उसके जांच के 06 घंटे के अंदर की थी। उक्त रिपोर्ट प्र0पी.05 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त चोटें कोई भी वाहन से गिरने से आ सकती है, उक्त चोटे पुरानी थी, इसलिए नहीं बता सकता कि चोटें कैसी थी तथा उसने प्र.पी03 से 05 की रिपोर्ट झूठी तैयार की थी।
- साक्षी मानिकलाल अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह आरोपी राजू टांडिया को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो तीन साल पूर्व की है। उसके समक्ष राजू टांडिया से गाड़ी के कागजात की जप्ती की कार्यवाही हुई थी, जो प्र.पी06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उक्त जप्ती की कार्यवाही ग्राम बोदा में हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि अगर उक्त जप्ती की कार्यवाही पुलिस ने थाने में की हो ऐसा लिखा हो तो वह गलत है। उक्त कार्यवाही वाहन मालिक के घर पर हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही के समय आरोपी राजू टांडिया नहीं था। साक्षी के अनुसार वाहन का मालिक ही उपस्थित था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र.पी06 पर उसके द्वारा हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर किया था। वह दुकान सामान लेने गया था, उसी समय पुलिस ने हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त हस्ताक्षर करते समय यह जानकारी नहीं थी कि कौन सी कार्यवाही की जा रही है। साक्षी के कथन अनुसार अन्वेषण की कार्यवाही चल रही थी।
- 20— साक्षी अमृतदास अ.सा.10 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2012 में बखारी नाला के पास दिन के ग्यारह—बारह बजे की है। उनकी गाड़ी को लेकर आरोपी राजू हेल्पर और एक अन्य व्यक्ति को लेकर गढ़ी बाजार जा रहा था। बखारी नाला के पास गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वह घटना होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचा था। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो गाड़ी नाले के किनारे गिरी पड़ी थी और एक व्यक्ति को चोट आयी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया कि उसे याद नहीं है कि घटना दिनांक 02.10.2012 की है। साक्षी ने यह स्वीकार

किया कि द्रक गाड़ी का नम्बर एम.पी.20 / जी.ए.—5082 है। उसे याद नहीं है कि घटना दिनांक को गाड़ी चालक राजू टांडिया गाड़ी में संतोष चक्रवर्ती, ब्रजेश चक्रवर्ती तथा सुरेश धुर्वे को सामान के साथ लेकर एवं व्यापारी गुलाब गोंड लाकर मोड़ा और गाड़ी को नाला में बायें तरफ पलटा दिया, जिससे संतोष, ब्रजेश व गुलाब को चोटें आयी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि राजू को गाड़ी धीरे चलाने को बोला था, परंतु उसने तेज गति से चलाकर एक्सीडेंट कर दिया, संतोष का पैर गाड़ी के डाला के इंजन में दब गया था और उसके दाहिने जांघ पर चोट लगी थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.08 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन पढ़कर नहीं देखा था और न ही पुलिवालों ने उसे पढ़कर सुनाये थे।

- 21— साक्षी गंगासिंह ठाकुर अ.सा.१ ने कथन किया है कि उसने थाना गढ़ी के अपराध कमांक 55/12 में जप्त शुदा वाहन पिकअप कमांक एम.पी. 20/जी.ए.5082 का परीक्षण करने पर स्टेरिंग, ब्रेक, गियर, एक्सीलेटर ठीक अवस्था में तथा वाहन का डाला बायें तरफ से एवं बायां पायदान पिचका हुआ, दाहिना इंडीकेटर टूटा हुआ तथा ड्रायवर साईड का सामने का हिस्सा पिचका हुआ पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय पुलिवालों की गाड़ी चलाता था और उनके कहने पर ही उसने वाहन का परीक्षण किया था।
- 22— साक्षी मंगलिसंह अ.सा.11 ने कथन किया है कि वह आरोपी राजू टांडिया को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी राजू टांडिया से पीकप वाहन मय कागजात के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह जब थाने गया था वहां पर गाड़ी नहीं थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि थाने में उस वक्त तीन चार गाड़ियां थी। उसे याद नहीं है कि उसने जप्ती पत्रक प्र.पी.06 पर हस्ताक्षर किया था या नहीं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं की थी।
- 23— साक्षी जी.एल. चौधरी अ.सा.12 ने कथन किया है कि वह दिनांक 02.10.12 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी संतोष कुमार की रिपोर्ट पर वाहन कुमांक एम.पी. 20 / जी.ए-5082 के चालक राजू टांडिया के विरुद्ध धारा-279, 337 एवं धारा-184 एम.व्ही. एक्ट का अपराध कुमांक 55 / 12 पंजीबद्ध किया था, जो प्र.पी.01 है जिसके अ से अ भाग पर प्रार्थी संतोष के तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आहत संतोष तथा बृजेश का मुलाहिजा फार्म सी.एच.सी. बैहर भिजवाया था, जो प्र.पी.3-5 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही सुरेश धुर्वे की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौका-नक्शा प्र.पी.09 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर सुरेश धुर्वे के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही

गवाह सुरेश धुर्वे, कादर खान, अन्नु ढुलिया तथा दिनांक 03.10.12 को गवाह अमृतदास तथा दिनांक 07.10.12 को गुलाब सैयाम, चीनीदास पनिका के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था।

- 24— साक्षी जी.एल. चौधरी अ.सा.12 के अनुसार दिनांक 03.10.12 को आरोपी राजू टांडिया द्वारा वाहन का रिजस्ट्रेशन, फिटनेस, इश्यूरेंस, ड्रायविंग लाईसेंस तथा एक सफेद रंग की कार्बोकिंग पीकप क्रमांक एम.पी.20/जी.ए. —5082 पेश करने पर गवाह मानिकलाल एवं मंगलिसेंह के समक्ष थाना पिरसर गढ़ी में पेश करने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी06 तैयार किया था, जिसके सी सो भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपी राजू टांडिया के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही साक्षीगण मुरलीदास एवं अमृतदास के समक्ष आरोपी राजू टांडिया को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.पी.10 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी राजू टांडिया के हस्ताक्षर है। गिरफतारी की सूचना आरोपी के परिवारवालों को दी गयी थी। आहत का एक्स—रे परीक्षण कराये जाने पर आहत के पैर में अस्थिभंग होने से धारा—338 भा.दं०स० का ईजाफा किया गया था।
- साक्षी जी.एल. चौधरी अ.सा.12 के अनुसार प्रकरण में जप्तशुदा वाहन कमांक एम.पी.20 / जी.ए.—5082 को सुपुर्दनामा पर वाहन मालिक चीनीदास को मय दस्तावेज के दिया गया था। वाहन मालिक से पूछताछ करने पर बताया कि उसने उक्त वाहन को घटना दिनांक को राजू टांडिया को चलाने के लिए दिया था। अभियोग पत्र तैयार किया जाकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी.01 की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गयी है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.01 में आरोपी के पिता का नाम उसका पता विवरण नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि मौका—नक्शा थाना मैं बैठकर बनाया गया है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी.06 एवं प्र.पी.10 की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गयी है तथा साक्षियों के कथन उसके द्वारा अपने मन से लेख किये गये हैं। साक्षी के अनुसार साक्षियों के बताये अनुसार ही लेख किया था।
- 26— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा चालित वाहन से कारित दुर्घटना में आहत बृजेश एवं गुलाब को साधारण उपहित तथा आहत संतोष को घोर उपहित कारित हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना अभियुक्त की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का अभाव है। घटना की तीनों आहतगण ने घटना में अभियुक्त की किसी लापरवाही अथवा उतावलेपन को प्रकट नहीं किया है। सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने निर्विवाद रूप से यह व्यक्त किया है कि घटना के समय वाहन घाट पर चढ़ रहा था तथा अचानक पीछे लुढ़क कर पुलिया में जाकर पलट गया। घटना के समय वाहन के ओवरलोड होने की भी कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि आहत संतोष अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वाहन में प्रत्येक बार जितना सामान भरता है, उतना ही घटना दिनांक को भरा था। यद्यपि वाहन परीक्षण

रिपोर्ट प्र.पी.07 से वाहन में किसी प्रकार की यांत्रिकी खराबी दर्शित नहीं है, तथापि प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त के वाहन चालन में किसी उपेक्षा या उतावलेपन की उपधारणा करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढ़ंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहतगण बुजेश एवं गुलाब को ठोस मारकर साधारण उपहति तथा संतोष को ठोस मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया। अतः अभियुक्त को भा.दं0सं0 की धारा–279, 337(दो बार), 338 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

28- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

29— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पीकप क्रमांक एम.पी.20जी.ए.5082 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।

30— अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त संबंध में धारा—428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

सहा / — (अमनदीप सिंह छाबड़ा) हर न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)